

बिहार सरकार
उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्रांक-डी०टी०डी/डी०-3/1/2009. 718
प्रेषक,

/पटना, दिनांक- 3/7/09

अशोक कुमार,
संयुक्त निदेशक(तक०)-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सरकार के उप सचिव,
जन शिकायत कोषांग,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।


विषय:- विकास यात्रा- 2009 के दौरान प्राप्त आवेदन के त्वरित निष्पादन एवं
कारवाई पत्र निर्गत करने के संबंध में।
प्रसंग- मुख्यमंत्री सचिवालय का संदर्भ संख्या-1902930004.
महाशय,

उपर्युक्त विषयक माननीय मुख्यमंत्री के विकास यात्रा 2009 के दौरान प्राप्त
संदर्भ संख्या-1902930004 का क्रमांक-4 जिसमें उल्लेख किया गया है कि कोई एक
भारी उद्योग की स्थापना हो।

विदित है कि सरकार द्वारा कोई कारखाना स्थापित नहीं किया जाता है।
राज्य में उद्योग स्थापना करने हेतु निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है। निजी
उद्यमियों को प्रोत्साहित किये जाने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, सिंगल
विन्डो क्लियरेंस एक्ट एवं विजन 2015 तैयार कराया गया है जिसके माध्यम से निजी
पूंजी निवेश को आकर्षित कर उद्योग स्थापित कराया जाता है। प्रयास किया जा रहा है
कि निजी उद्यमी द्वारा मूंगेर एवं लखीसराय में भारी उद्योग की स्थापना हो।

कृपया मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग मंत्रीमंडल सचिवालय
विभाग का अनुमोदन Action Taken Letter पर प्राप्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,


03.07.09
संयुक्त निदेशक(तक०)
-सह-

लोक सूचना पदा०,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सूचना कोषांग
सेवा में


363/DS
7/7/09
विषय:-
प्रसंग-
महाशय,

श्री राजाजी
कागल
7-7-09

217
7/7/09